न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/12/2019	2019/00065	08–05–2019	25–02–2021

01– लेखराज पुत्र बाबू जाति जाटव निवासी ग्राम दारोदा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0। –अपीलान्ट

बनाम

01– तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज0 –रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कठूमर का निर्णय दिनांक 10.06.2015 नामान्तकरण संख्या 1237–1238 ग्राम दारोदा तह0 कठूमर जिला अलवर राज0

उपस्थितः–
01. श्री अंजनी कुमार अवस्थी –वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 10.06.2015 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1237–1238 ग्राम दारोदा, तहसील कठूमर जिला अलवर जिसमें अपीलांट का नाम गलत रूप से लेखराज के स्थान पर अतुल दर्ज किया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इंतकाल सं0 1237–1238 वाके ग्राम दारोदा का निर्णय तहसीलदार कठूमर द्वारा दिनांक 10.06.2015 को किया गया था जिसमें रैस्पो0 ने अपीलांट को बिना सुने सही नाम की जानकारी किये बिना ही लेखराज के स्थान पर अतुल अंकित कर दिया गया है। जिस निर्णय की जानकारी अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 21.04.2019 को उस समय हुई तब अपीलांट पटवारी हल्का से अपनी खातेदारी की आराजी की जमाबंदी की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि मेरे रेकॉर्ड में तुम्हारा नाम अतुल पुत्र बाबू दर्ज है तथा अपीलांट ने दिनांक 22.04.2019 को इंतकाल सं0 1237–1238 वाके ग्राम दारोदा तह0 कठूमर की नकल हेतु प्रा0पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। दिनांक 22.04.2019 को इंतकालों की नकल मिली फिर कानूनी सलाहकारों से सलाह मशवरा कर सार्वजनिक–

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अवकाश आ जाने की वजह से आज ही बिना किसी देरी के यह अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश है। देरी दिनांक 10.06.2015 से दिनांक 29.04.2019 को कण्डोन किये जाने बाबत पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पेश है। हुकमी अपीलांट का दादा व बाबू अपीलांट का पिता है। जो दोनों फौत हो गये। बाबू के 6 वारिस पत्नी तारादेवी पुत्र लेखराज व पुत्री मलखन, कुक्की, गुड्डी व पूजा पैदा हुये। मलखन लाऔलाद फौत हो गयी। हुकमी व बाबू के फौत हो जाने पर इनका एक ही विरासत इंतकाल सं0 1237 में मृतक बाबू के वारिसान लेखराज को बिना सुने बिना पहचान के दस्तावेज लिये बिना सही नाम की जांच किये ही पटवारी हल्का ने लेखराज के स्थान पर अतुल दर्ज कर दिया। जिसका कानूनगो हल्का ने पटवारी हल्का का अंकन सही होना दर्ज कर रैस्पो0 ने अपीलांट के पहचान दस्तावेजात् की जांच किये इंतकाल में गलत नाम अतुल दर्ज कर दिया गया। जबकि गांव में अपीलांट का अतुल बोलता नाम है, सही नाम लेखराज है तथा अपीलांट के शैक्षणिक व पहचान दस्तावेज में लेखराज अंकित है और अपीलांट की बुआ कमला ने अपने पिता हुकमी व मां पार्वती से विरासत में प्राप्त अपने हिस्से की आराजी का रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 15.05.2015 को अपीलांट के हक में तस्दीक कराया, जिसमें अपीलांट ने अपना नाम लेखराज उर्फ अतुल अंकित कराया था। लेकिन हक त्याग के आधार पर दर्ज व फैसल इंतकाल सं0 1238 में भी अपीलांट का नाम अपीलांट के पहचान दस्तावेज लिये ही गलत नाम अतुल अंकित कर दिया। जबकि अपीलांट का सही नाम लेखराज है। आराजी खसरा नम्बर 461, 693, 459, 462, 463, 468, 469, 456, 454, 455, 457 व 507 वाके ग्राम दारोदा तह0 कठूमर बाबत पटवारी हल्का ने इंतकाल सं0 1237–1238 में अपीलांट का नाम बिना सुने लेखराज के स्थान पर अतुल गलत दर्ज कर किया गया है। अपीलांट परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान–पत्र, भामाशाह व शैक्षणिक दस्तावेज अंकतालिकाओं में अपीलांट का नाम लेखराज दर्ज है। अपीलांट का नाम गलत रूप से लेखराज के स्थान पर अतुल दर्ज कर दिये जाने से राज्य सरकार द्वारा लघु कृषक को दी जाने वाली सालाना पेंशन नहीं मिलेगी। लेबी में जिन्स बेचने का रजिस्ट्रशेन नहीं हो पा रहा है तथा ना ही सरकार द्वारा समय–समय पर किसान को जो छूट दी जा रही है। उनका लाभ भी नहीं मिल रहा है ना बैंक ऋण मिल रहा है। जिससे अपीलांट को काफी नुकसान हो रहा है। अतः निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.06.2015 इंतकाल संख्या 1237–1238 ग्राम दारोदा तह0 कठूमर में अपीलांट का नाम अतुल के स्थान पर लेखराज दर्ज किये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 10.06.2015 के विरूद्ध दिनांक 08.05.2019 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 04 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है, फिर भी प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत का इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का व रैस्पो0 द्वारा बिना अपीलांट को सुने अपीलांट का नाम लेखराज के स्थान पर अतुल गलत दर्ज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा न्यायालय में पेश दस्तावेजात् परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान–पत्र, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेज अंकतालिकाओं एवं अन्य दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सभी दस्तावेजात् में अपीलांट का नाम लेखराज अंकित है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट का नाम इंतकाल संख्या 1237–1238 निर्णय दिनांक 10.06.2015 में अपीलांट के समस्त दस्तावेजात् परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान–पत्र, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेज अंकतालिकाओं की पुनः जांच कर नियमों के आलोक में विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25–02–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDL. COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

25/02/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)